दिनांक 15.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 16/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा ज्येष्ठ गंगा दशहरा स्नान पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 को दिनांकः 16.06.2024 को मनाये जाने वाले **ज्येष्ठ गंगा दशहरा स्नान** पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के हेतु मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश दिये गये :–

- ज्येष्ठ गंगा दशहरा स्नान पर्व के अवसर पर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी ऐसी नदियों, घाटों/सरोवरों को चिन्हित कर लें, जहाँ स्नानार्थियों के अत्यधिक संख्या में आने की सम्भावना हो तथा पूर्व से ही ऐसे सभी स्थानों का भ्रमण कर पर्याप्त एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- नदियों के घाटों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करायी जाये तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेटिंग कराकर गोताखोर व जल पुलिस की ड्यूटी लगायी जाये।
- स्नान के घाटों/सरोवरों आदि की पूर्व से ही चेकिंग आदि करा ली जाये तथा सादी वर्दी में पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाय।
- त्यौहार रजिस्टर का परिशीलन कर विगत वर्षों में हुये विवाद आदि के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भ्रमण कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। किसी भी गैर परम्परागत आयोजन की अनुमति प्रदान न की जाय।
- छोटी से छोटी सूचना को गम्भीरता से लेते हुये तत्काल मौके पर पहुॅच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाय।

- सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफार्म पर सतर्क दृष्टि रखी जाय, असत्य एवं भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर उसका तत्काल खण्डन किया जाये तथा इसमे संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाय।
- यूपी–112 के वाहनों का भीड़–भाड़ वाले स्थानों आदि पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन किया जाय।

दिनांक 15.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 17/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा ईद–उल–जुहा (बकरीद) त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 को दिनांकः 17.06.2024 को मनाये जाने वाले **ईद–उल–जुहा (बकरीद)** त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

- त्यौहार रजिस्टर का परिशीलन कर विगत वर्षों में हुये विवाद तथा संवेदनशीलता के आधार पर हॉटस्पाट चिन्हित कर लिया जाय। ऐसे सभी स्थानों का संवदेनशीलता के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भ्रमण कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। किसी भी गैर परम्परागत आयोजन की अनुमति प्रदान न की जाय।
- विगत वर्षों में बकरीद के अवसर पर कुर्बानी/नमाज आदि को लेकर यदि कोई विवाद परिलक्षित हुआ हो तो उसका तत्परतापूर्वक निस्तारण करा लिया जाय। इसी क्रम में यदि कोई नया विवाद प्रकाश में आया हो तो समयान्तर्गत उसका भी निस्तारण करा लिया जाय।
- थाने पर उपलब्ध रजिस्टर न०–8 की प्रविष्टियों का अध्ययन कर साम्प्रदायिक एवं अवॉछनीय तत्वों के विरूद्ध आवश्यक्तानुसार कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लिया जाय तथा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण करते हुए विद्यमान विवाद को हल करने तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाये।

- गोवध जैसी घटनाओं तथा गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिये आवश्यक प्रभावी उपाय किये जाये।
- नमाज के समय ईदगाहों/मस्जिदों के निकट आवागमन के मार्गों पर जानवरों का विचरण न होने पाये।
- त्यौहार शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु धर्मगुरूओं व सम्भ्रान्त नागरिकों के साथ गोष्ठी कर ली जाये तथा सार्वजनिक मार्गो को अवरोध कर नमाज पढ़ने हेतु मना किया जाय।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्र को सक्रिय रखा जाये तथा शरारती तत्वों की सतर्क निगरानी करते हुये आवश्यकतानुसार निरोधात्मक/विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जनपद में उपलब्ध पुलिस बल का व्यवस्थापन अधिक से अधिक संख्या में कानून व्यवस्था हेतु किया जाय। दंगा निरोधक उपकरणों से सुसज्जित रिजर्व पुलिस बल तैयारी हालत में रखा जाय।
- त्यौहार के अवसर पर कमिश्नरेट/जनपदों को जोन व सेक्टर में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन व सेक्टर में मजिस्ट्रेट एवं समकक्ष पुलिस अधिकारी व पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया जाय।
- यूपी–112 के वाहनों का संवेदनशील क्षेत्रों, स्थलों एवं मार्गों पर व्यवस्थापन किया जाय।
- मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरो के माध्यम से निगरानी की जाय।
- सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्थापन हेतु संवेदनशील स्थानों/चौराहों का चयन तथा वीडियोग्राफी की टीमों का गठन करा लिया जाय।
- प्रातःकालीन चेकिंग हेतु मार्निंग पार्टी का गठन समस्त थाना क्षेत्रों में किया जाये। इस टीम द्वारा संवेदनशील स्थानों के आस–पास आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर, वस्तुये इत्यादि होने पर समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जाय।

- समस्त कमिश्नरेट/जनपद की सोशल मीडिया टीम 24X7 सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म पर निगरानी रखें तथा मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया टीम से समन्वय रखते हुये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्ट का तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाय।

दिनांक 15.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 18/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (SLSCR) की गोष्ठी का आयोजन

श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आज दिनांक 15.06.2024 को डीजीपी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (SLSCR) की 10वीं त्रैमासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी में अपर पुलिस महानिदेशक, जी0आर0पी0/नोडल अधिकारी SLSCR, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, ज्वाइंट डायरेक्टर, आई0बी0, पुलिस महानिरीक्षक आर0पी0एफ0, एनईआर, एनआर, एनसीआर, डब्लूसीआर, ईसीआर, पुलिस उपमहानिरीक्षक ए0टी0एस0, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे लखनऊ, जी0एम0 डीएफसीसीआईएल सिक्योरिटी, पुलिस अधीक्षक इंटेलिजेन्स, ADRM NR लखनऊ एवं चीफ रेलवे ट्रैक इंजीनियर, पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ, सीनियर कमाडेंट आरपीएफ एनआर/एनईआर लखनऊ उपस्थित रहें।

अपर पुलिस महानिदेशक जी0आर0पी0/नोडल अधिकारी SLSCR द्वारा 9वीं गोष्ठी के एजेण्डा बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही एवं 10वीं गोष्ठी के एजेण्डा बिन्दुओं को समिति में बिन्दुवार विस्तार से रखते हुए CCTV कैमरों एवं बैगेज स्कैनर की संख्या बढ़ाये जाने, FRS युक्त CCTV कैमरा लगाये जाने, महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ पर विशेष रूप से CCTV एवं अन्य सुरक्षा उपकरण स्थापित करने पर बल दिया गया । महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बैगेज स्कैनर की संख्या बढ़ाये जानें की आवश्यकता बतायी गयी । ट्रेन के कोच में कैमरा लगाने एवं रेल इंजन के फ्रंट पर कैमरा लगाये जाने हेतु निर्देश दिया गया । अवैध वेण्डर्स पर रोक लगाने, रेलवे के ठेके पर रखे कार्मिकों का सत्यापन कराने, ट्रेनों पर पत्थरबाजी रोकने, रेलवे ट्रैक को अवरूद्ध/क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने पर बल दिया गया । इसके अतिरिक्त जीआरपी की उपलब्धियों एवं आने वाली चुनौतियों की

तरफ भी समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया । नोडल अधिकारी द्वारा आगामी महाकुंभ 2025 से सम्बन्धित समस्त तैयारियों को समय से पूर्ण करने, समस्त रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा हेतु बनाई गयी SOP को समय–समय पर अद्यतन करनें एवं उसके अनुसार मॉक ड्रिल करने पर जोर दिया गया ।

पुलिस महानिरीक्षक आरपीएफ एनआर, एनसीआर, एनईआर, डब्लूसीआर एवं ईसीआर द्वारा गोष्ठी में रखे गये एजेण्डा बिन्दुओं पर, अपने–अपने जोन में आरपीएफ द्वारा की जा रही कार्यवाही तथा चुनौतियों का उल्लेख किया गया ।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था द्वारा किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए आरपीएफ व रेलवे के अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र की Mini War Book अध्यावधिक किये जाने तथा रेलवे सम्पत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने एवं रेलवे स्टेशनों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाकर Saturate करने हेतु बताया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग तथा रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे एवं बैगेज स्कैनर आदि सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को व्यवस्थापित किया जाय। आतंकवादी घटनाओं, मादक द्रव्य/विस्फोटक पदार्थ की आवाजाही, मानव तस्करी आदि के रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा की समस्त एजेन्सियों से परस्पर सूचनाओं का आदान–प्रदान कर एवं उनपर प्रभावी कार्यवाही किया जाय। महाकुंभ 2025 से सम्बन्धित तैयारियों को समय से पूर्ण कर लिया जाय। छोटे अतिक्रमण की अनदेखी करने पर कुछ समय के पश्चात गम्भीर समस्या का रूप ले लेता है, अतः शुरूआत में ही अतिक्रमण न होने दिया जाये । स्टेशनों पर प्रवेश/निकास द्वार पर Access Control करने, अवैध वेण्डर्स पर रोक लगाने, ट्रेनों पर पत्थरबाजी पर प्रभावी नियंत्रण करने, ट्रैक को अवरूद्ध/क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु जीआरपी/आरपीएफ/सिविल पुलिस के मध्य और अच्छा समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाय तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाय। भारतीय रेल राष्ट्र की Life Line है। अतः किसी भी परिस्थिति में माल गाड़ी एवं यात्री गाड़ियों के परिचालन में अवरोध नही आना चाहिए तथा उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है।

दिनांक 15.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 19/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद इटावा/थाना लवेदी

●15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

●01 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनॉकः 14/15.06.2024 की रात्रि थाना लवेदी व थाना सहसों की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नेवादा जाने वाले सड़क मार्ग पर मडौली तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सत्यम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लवेदी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लवेदी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सत्यम निवासी ग्राम कुम्हारेडी थाना नगर जनपद डींग, राजस्थान।

बरामदगी

1—01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद जौनपुर/थाना मीरगंज

●पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

●लूटे गये चॉदी के आभूषण

●01 मोबाइल फोन

●01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)

●01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 14/15.06.2024 की रात्रि थाना मीरगंज व थाना बरसठी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमालापुर रोड़ पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी।

पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—करन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—रोहित उर्फ अजीत सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये चॉदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त करन के विरूद्ध जनपद जौनपुर, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—करन निवासी ग्राम मोलनापुर थाना मीरगंज जनपद जौनपुर।

2—रोहित उर्फ अजीत निवासी ग्राम कटाहित खास थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये चॉदी के आभूषण।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

4—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना शमशाबाद</u>

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की घटना का अनावरण

• चोरी की लगभग 02 किलोग्राम चॉदी के चैनों के गुच्छे बरामद

दिनॉकः14.06.2024 को थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माता प्रसाद कोल्ड स्टोर के पास गढ़ी भूपाल को जाने वाले कच्चे रास्ते से 04 अभियुक्तों 1—हरेन्द्र 2—अभिषेक 3—मनीष 4—शिवम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना

का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 02 किलोग्राम चॉदी के चैनों के गुच्छे बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 22.05.2024 को थाना शमशाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चॉदी के चैनों के गुच्छे उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हरेन्द्र निवासी बाघबीधा थाना शमशाबाद, आगरा।

2—अभिषेक निवासी बाघबीधा थाना शमशाबाद, आगरा।

3—मनीष निवासी बाघबीधा थाना शमशाबाद, आगरा।

4—शिवम निवासी बाघबीधा थाना शमशाबाद, आगरा।

बरामदगी

1—चोरी की लगभग 02 किलोग्राम चॉदी के चैनों के गुच्छे।

जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद

दिनॉक':15.06.2024 को थाना कुरारा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यात्री प्रतिक्षालय श्रमदान पतारा के पास से 02 अभियुक्तों 1—संजय 2—विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कुरारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजय निवासी राजेन्द्र नगर थाना कबरई जनपद महोबा।

2—विकास निवासी बाकरगंज थाना कोतवाली सदर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फतेहगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सल्लू 2–शिवकुमार को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मथुरा/थाना सुरीर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना सुरीर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त गिरधारीलाल को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———–